



कॉरपोरेट पर्यावरण नीति तथा अन्य सह-सम्बंधित नीतियाँ



पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग निगम मुख्यालय, एनएचपीसी लिमिटेड फ़रीदाबाद - 121003

राज कुमार चौधरी Raj Kumar Chaudhary अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

संदेश



प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है, जिसे हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर संज्ञान में लिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए सतत् विकास के आह्वान ने पर्यावरण संरक्षण में नया आयाम जोड़ा है। इस सम्बन्ध में सभी पर्यावरण कानून, पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एनएचपीसी लिमिटेड ने 'पर्यावरण संरक्षण' को अपनी परंपरा के हिस्से के रूप में कंपनी के मिशन और विजन में सम्मिलित किया है। प्रत्येक परियोजना के प्रारंभिक चरण से लेकर बाद के सभी चरणों के दौरान, पर्यावरण विनियमों का सम्पूर्णता से अनुपालन किया जाता है। हमारी कंपनी में पर्यावरण विभाग की टीम, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं और पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निर्धारित पर्यावरण सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में हमेशा सहायक रही है। विगत वर्षों से कंपनी ने ईएसजी (इनवारनमेंट, सोशल, गवरनेंश) रिपोर्टिंग के तहत अपनी नीतियों व कार्यों से हितधारकों को अवगत कराया है। इस प्रक्रिया के तहत हमनें पर्यावरण नीति सहित अन्य सह-सम्बंधित नीतियों का समग्र संकलन इस दस्तावेज में प्रस्तुत किया है। राजभाषा नियमों का अनुपालन करते हुए इसे द्विभाषी रूप में पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग ने जारी किया है, जो सराहनीय है।

मुझे कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति तथा अन्य सह-सम्बंधित नीतियों के समग्र दस्तावेज को जारी करते हुए सुखद अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर पर्यावरण विभाग की पूरी टीम को पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के प्रति उनके निरंतर प्रयासों और प्रतिबद्धता के लिए मैं बधाई देता हैं।

मुझे विश्वास है कि यह समग्रीकृत नीति दस्तावेज, पर्यावरण संरक्षण के प्रति एनएचपीसी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक साधन के रूप में कार्य करेगी।

ग्रान्क चीधरी) (राज कुमार चौधरी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक





सुप्रकाश अधिकारी Suprakash Adhikari

निदेशक (तकनीकी) Director (Technical)

संदेश



प्रायः जलविद्युत परियोजनाएँ, देश के दूरदराज क्षेत्रों में स्थित होती हैं। परियोजना विकास की प्रगति के साथ, मुख्यधारा से पिछड़ा हुआ परिक्षेत्र भी सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान का साक्षी बन जाता है। देश भर में स्थित एनएचपीसी की परियोजनाएँ इस तथ्य की गवाही देती हैं कि, पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन के साथ व्यवस्थित तरीके से निर्मित जलविद्युत परियोजनाएँ पूरे क्षेत्र के सतत् विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं। जीवाश्म ईंधन के घटते भंडार, साथ ही बढ़ते प्रदूषण की विकरालता से स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की ओर बढ़ना विश्व की अनिवार्यता है। समाज और अर्थव्यवस्था के असंख्य लाभ प्रदान करने के साथ जलविद्युत परियोजनाएँ मानव जाति को स्वच्छ तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी परियोजनाओं को प्रासंगिक मानदंडों/ दिशानिर्देशों/ अधिनियमों के अनुरूप विकसित किया जाए, जो न केवल राष्ट्र को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करे, बल्कि सतत् विकास की अवधारणा के अनुकूल भी हो।

परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों के लिए पर्यावरण प्रभाव आंकलन अध्ययन (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) के कार्यान्वयन में हमारी कंपनी के पर्यावरण विभाग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है। एनएचपीसी ईएसजी रिपोर्टिंग के तहत भी हितधारकों के समक्ष अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के दृष्टिगत प्रचलित पर्यावरण संबंधी कार्यों को नीति दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मैं पर्यावरण विभाग की टीम को कॉपोरिट पर्यावरण नीति तथा अन्य सह-संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए बधाई देता हूँ। मुझे यकीन है कि प्रस्तुत पर्यावरण तथा अन्य सह-सम्बंधित नीतियाँ देश में निर्धारित मानदंडों/ दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए जलविद्युत विकास के सभी चरणों में हमारे कर्मचारियों को मार्गदर्शन करने में मदद करेगी।

इस कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति तथा अन्य सह-सम्बंधित नीति दस्तावेज को प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।


> (सुप्र<mark>काश अधिकारी)</mark> निदेशक (तकनीकी)



संदीप बत्रा Sandeep Batra

कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण <mark>एवं विविधता प्रबंधन)</mark> Executive Director (EDM Division)





अपनी परियोजनाओं / पावर स्टेशनों के पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान कर उन्हें प्रबंधित करने के लिए एनएचपीसी पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। वैज्ञानिक मूल्यांकन और नियामक अनुपालन आवश्यकताओं के साथ-साथ हितधारकों के परामर्श पर आधारित पर्यावरण प्रबंधन, परियोजनाओं के निर्माण और संचालन गतिविधियों का अभिन्न अंग रहा है। इसे देखते हुए हमने ईएसजी रिपोर्टिंग की है व पर्यावरण, सामाजिक दायित्वों व प्रबंधन संदर्भित अपनी वस्तुस्थिति तथा उपलब्धियों से हितधारकों को भी अवगत कराया है।

कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति तथा अन्य सह-संबंधित नीतियाँ, पर्यावरण, वन और वन्यजीव नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देती है। एनएचपीसी प्रबंधन ने हमेशा विद्युत उत्पादन कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण प्रबंधन को जिस तरह अपनी प्राथमिकता बनाया है, मैं उन्हें विभाग प्रमुख के रूप में हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस नीति दस्तावेज को तैयार करने में सिक्रय भूमिका निभाने वाले पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय की टीम को मैं बधाई देता हूँ और एनएचपीसी प्रबंधन को इसके अनुमोदन के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।

यह नीति दस्तावेज पर्यावरण संरक्षण और संधारण के मूल तथ्यों को समझने के साथ-साथ हमारी सहायक कंपनियों और संयुक्त-उद्यम कंपनियों सहित हमारे सभी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए मददगार सिद्ध होगा। यह दस्तावेज राजभाषा नियमों के परिपालन के दृष्टिगत विभाग की उत्कृष्ट पहल है। मुझे विश्वास है कि यह नीति दस्तावेज हमारे वर्तमान और भविष्य के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साधन के रूप में कार्य करेगा।

(संदीप बत्रा)


कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन)



राजीव रंजन प्रसाद Rajeev Ranjan Prasad

महाप्रबंधक (पर्यावरण) General Manager (Environment)





कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति तथा अन्य सह-संबंधित नीतियों का उद्देश्य अनुपालन के माध्यम से सतत् विकास के लिए पर्यावरणीय प्रभावों का प्रबंधन करना है। पर्यावरण और स्थिरता, सतत् विकास की अवधारणा, कानून, नियम और विनियम पर विचार करते हुए यह दस्तावेज तैयार किया गया है। कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति को निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 10.08.2022 में अनुमोदित किया है, तथा अन्य सह-संबंधित नीतियों जैसेः जैव विविधता नीति, अपशिष्ट प्रबंधन नीति एवं जल संरक्षण नीति को निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 28.03.2023 में अनुमोदित किया है। वर्तमान प्रयासों के तहत सभी अनुमोदित नीतियों को समग्रीकृत रूप से दस्तावेजीकृत किया गया है।

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीय रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) एवं पर्यावरण, समाज व प्रशासन (ईएसजी) रिपोर्टिंग के अंतर्गत पर्यावरण और अन्य मानदंडों के अनुपालन का प्रकटीकरण अनिवार्य कर दिया है। ऐसे परिदृश्य में, अनिवार्य शर्तों का अनुपालन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति दस्तावेज एक प्रेरक बल के रूप में कार्य करेगा।

इस अवसर पर, मैं एनएचपीसी प्रबंधन के प्रति उनके समर्थन और मार्गदर्शन और इस नीति दस्तावेज के अनुमोदन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रेरणा प्रदान करने हेतु, मैं श्री संदीप बत्रा, कार्यपालक निदेशक (पर्या. & विवि. प्र.) का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके दस्तावेजीकरण में डॉ. अविनाश कुमार, महाप्रबंधक (पर्यावरण); श्री धर्मपाल राठौर, समूह उप-महाप्रबंधक (पर्यावरण); श्री अरविंद कुमार शर्मा, उप-महाप्रबंधक (पर्यावरण) एवं श्री देवराज बरूआ, उप-महाप्रबंधक (पर्यावरण) का समानांतर व सिक्रय सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसका मैं आभारी हूँ। पर्यावरण नीति तथा अन्य सह-सम्बंधित नीतियों का हिन्दी में अनुवाद श्री मनीष कुमार, उप-प्रबंधक (फिशरीज) द्वारा किया गया है, मैं उनका भी आभारी हूँ। इस अनुवाद के माध्यम से विभाग ने निगम की राजभाषा नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन किया है।

(राजीव रंजन प्रसाद) महाप्रबंधक (पर्यावरण)





कॉरपोरेट पर्यावरण नीति तथा अन्य सह-सम्बंधित नीतियाँ	पृष्ठ संख्या
• कॉरपोरेट पर्यावरण नीति	8-19
Corporate Environment Policy	36-45
• जैव विविधता नीति	20-26
Biodiversity Policy	46-53
अपिशष्ट प्रबंधन नीति	27-31
Waste Management Policy	54-58
• जल संरक्षण नीति	32-35
Water Conservation Policy	59-62







विषय वस्तु

क्रम संख्या	सूचकांक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	10
2.	परिचय	10
3.	उपादेयता	11
4.	उद्देश्य	11
5.	संगठनात्मक ढांचा	11
6.	हमारी नीति	13
7.	स्वैच्छिक पहल	14
8.	प्रदूषण कम करने के उपाय	15
9.	मूल्यांकन, आंकलन और रिपोर्टिंग	16
10.	हितधारकों के लिए संचार सुविधा	17
11.	जागरूकता और सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम	17
12.	सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन	18
13.	कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति की समीक्षा	18

1. प्रस्तावना

- 1.1. अपने स्थापना काल से ही एनएचपीसी, पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय एवं सामाजिक-आर्थिक उत्तरदायी तरीके से जलविद्युत उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। एनएचपीसी का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनतम क्षति को ध्यान में रखकर उनका दोहन करना है। पर्यावरण पर पड़ने वाले अपरिहार्य प्रभावों को कम करने के लिए एनएचपीसी द्वारा विभिन्न प्रकार के संरक्षण उपाय किए जाते हैं।
- 1.2. एनएचपीसी की परिकल्पना सक्षम, जिम्मेदार और अभिनव मान्यताओं के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के सतत् विकास के लिए एक वैश्विक अग्रणी संगठन बनना है।
- 1.3. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और परियोजना प्रभावित लोगों से संबंधित मुद्दे, कंपनी के प्रमुख मूल्यों में से एक है। एक संगठन के रूप में एनएचपीसी पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक विकास को समान महत्व देते हुए दीर्घाविध संधारणीय विकास में विश्वास रखती है।
- 1.4. एनएचपीसी की कॉपोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक प्रगति के न्याय संगत वृद्धि हेतु अपनी व्यापारिक गतिविधियों में पर्यावरण नैतिकता को संस्थागत करना है, तािक सही अर्थों में संवहनीयता प्राप्त किया जा सके।
- 1.5. एनएचपीसी का नीति वृतांत "एनएचपीसी लिमिटेड स्थानीय जन-समुदायों और हितधारकों की भागीदारी के साथ पर्यावरण सुरक्षा उपायों तथा निर्धारित कार्यप्रणालियों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध होकर स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्रदान करने हेतु सर्वदा प्रयासरत है।"

2. परिचय

- 2.1. एनएचपीसी लिमिटेड देश की सबसे बड़ी जलविद्युत निर्माता कम्पनी है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पिरयोजनाओं को सतत् विकास की अवधारणा के साथ निष्पादित और संचालित करना है; जिसके लिये प्राकृतिक संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण महत्वपूर्ण है।
- 2.2. एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा पर्यावरण और समाज के प्रति उचित सरोकार रखते हुए एक सक्षम और मजबूत पहचान के साथ सर्वोत्तम पर्यावरणीय, सामाजिक एवं कॉर्पोरेट प्रशासन की सभी कार्यप्रणालियों को अपनाया गया है।
- 2.3. एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा मई, 2016 के अपने पहले के नीति दस्तावेज के स्थान पर अब कॉपीरेट पर्यावरण नीति, 2022 को अपनाया जा रहा है। इस नीति का उद्देश्य कार्रवाई योग्य ढांचा व मार्गदर्शन प्रदान करना है, क्योंकि एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा भारत में जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए निर्धारित सभी पर्यावरणीय मानदंडों का सख्ती से पालन करते हुए प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है।



केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित निम्मो-बाजगो पावर स्टेशन (45 मेगावाट) के डाउनस्ट्रीम का दृश्य

- 2.4. कॉपोरेट पर्यावरण नीति, 2022 पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने एवं संगठन, लोगों और पृथ्वी के सतत् विकास में योगदान देने के लिए एनएचपीसी की प्रतिबद्धता का वृतांत है।
- 2.5. एनएचपीसी के प्रमुख हितधारकों में कर्मचारी, शेयरधारक, परियोजना प्रभावित परिवार, स्थानीय जन-समुदाय, स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत, प्रखंड और जिला प्रशासन, राज्य के वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि शामिल हैं।
- 2.6. कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति में निम्न बातों पर विशेष जोर दिया गया है:
- 2.6.1. परियोजनाओं गितिविधियों की पर्यावरणीय उपलब्धियों की रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के साथ पर्यावरणीय एवं सामाजिक जिम्मेदारी से कारोबार करना। इससे सभी हितधारकों का भरोसा एवं विश्वास जीतने में मदद मिलेगी तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय संवहनीयता को बढ़ावा भी मिलेगा।
- 2.6.2. कंपनी के सभी कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों को पर्यावरणीय निष्पादन में सुधार करने के महत्व एवं सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय तरीकों को अपनाने के प्रति संवेदनशील बनाना।
- 2.6.3. परियोजनाओं की योजना, निष्पादन और प्रचालन में पर्यावरणीय महत्व को समाहित करना।
- 2.6.4. एनएचपीसी की व्यावसायिक गतिविधियों से सीधे प्रभावित होने वाले प्रमुख हितधारकों की पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की पहचान करना।



मध्य प्रदेश में स्थित इन्दिरा सागर पावर स्टेशन (1000 मेगावाट) के डैम का दृश्य

3. उपादेयता

3.1. यह नीति, निगम के सभी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों आदि में लागू होगी। एनएचपीसी लिमिटेड के प्रत्येक कार्मिक को नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जायेगा।

4. उद्देश्य

यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित हैः

- 4.1. परियोजना के योजना और डिजाईन के प्रारंभिक चरणों की संकल्पना से ही पर्यावरण संरक्षण उपायों का लेखांकन करना, ताकि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए एक व्यापक नींव रखी जा सके।
- 4.2. परियोजनाओं के अन्वीक्षण, निर्माण एवं निर्माणोंपरांत चरणों के दौरान सर्वोत्तम पर्यावरण प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना और पोषित करते रहना।
- 4.3. पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित सभी प्रासंगिक अधिनियमों/ दिशानिर्देशों/ नीतियों का अनुपालन करना।
- 4.4. नई तकनीकों की मदद से निगरानी और मूल्यांकन करना।
- 4.5. कंपनी के प्रत्येक कर्मचारियों (मानव संसाधन) को पर्यावरण के प्रति जागरूक रख कर, पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के स्तर को बढ़ाकर, उन्हें संपोषित करते रहना।

5. संगठनात्मक ढांचा

यह नीति अपने संगठनात्मक ढांचे में तीन स्तरीय संरचनाओं के लिए निर्धारित हैः

5.1. कॉर्पोरेट स्तरः

पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, अनुसंधान और विकास कार्यों हेतु योजना तैयार करना, निगरानी करना और सहायता प्रदान करना; परियोजना निर्माण के पश्चात् पर्यावरण प्रभावी आंकलन अध्ययन करवाना; केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना और जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ संशोधन के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।

5.2. क्षेत्रीय स्तरः

पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में निर्धारित अनुपालन गतिविधि की निगरानी करना। राज्य सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय तथा निगम मुख्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा निर्धारित पर्यावरण प्रबंधन उपायों के सुचारू कार्यान्वयन में परियोजनाओं और पावर स्टेशनों को सहयोग करना।

5.3. पावर स्टेशन/ परियोजना स्तरः

संबंधित परियोजनाओं और पावर स्टेशनों के लिए पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अनुमोदन प्राप्त करना; राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों और निगम मुख्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना; राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति (जैसा भी प्रकरण प्रस्तुत हो) से समय-सीमा के भीतर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमित (कंसेन्ट टू इस्टेब्लिश) और परियोजना संचालन के लिए सहमित (कंसेन्ट टू ऑपरेट) प्राप्त करना। पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंजूरी में निर्धारित शर्तों/ उपायों का अनुपालन करना। पर्यावरण

प्रबंधन के उपाय लागू करते समय स्थानीय जन-समुदायों की भावनाओं का उचित संज्ञान लेना। सभी स्थानीय हितधारकों जैसेः राज्य वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समिति, जिला प्रशासन और अन्य स्थानीय/ शहरी निकाय, परियोजना प्रभावित परिवारों और स्थानीय जन-समुदायों के साथ नियमित विचार-विमर्श के उचित दस्तावेजी रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो क्लिपिंग इत्यादि रखना।

पर्यावरण, वन और वन्यजीव अधिनियमों/ नियमों/ दिशानिर्देशों के किसी भी तरह के उल्लंघन से बचने हेतु उचित एहितियात बरतना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की शतोंं के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय के साथ-साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और किसी भी अन्य राज्य/ केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करते रहना। परियोजनाओं पर कार्यरत कर्मचारियों को जिला प्रशासन के परामर्श से परियोजना प्रभावित परिवारों के मुद्दों/ शिकायतों को निपटाने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ सिक्रेय रूप से जुड़े रहना।



हिमाचल प्रदेश में स्थित चमेरा-III पावर स्टेशन पर मलबा निस्तारण क्षेत्र का खेल मैदान में रूपांतरण

6. हमारी नीति

एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा इस नीति के माध्यम से अपनी संगठनात्मक प्रतिबद्धताओं और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किए जायेंगे। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा—

- 6.1. अपनी रणनीति, व्यवसायिक विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में युक्त आवश्यक विचारों द्वारा सिक्रिय पर्यावरण एवं समाज केंद्रित दृष्टिकोण अपनाये जायेंगे।
- 6.2. अपनी कार्यप्रणालियों में विज्ञान और आधुनिक उन्नत तकनीकी का उपयोग करते हुए पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान कर, उन्हें कम करने के प्रयास किए जायेंगे।
- 6.3. प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, ईंधन, निर्माण सामग्री आदि के कुशल और ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित किए जायेंगे।
- 6.4. परियोजना घटकों के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निर्णय लेते समय महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उचित महत्व दिये जायेंगे।
- 6.5. योजना और डिजाईन के विभिन्न पहलुओं पर पर्यावरण हितैशी तरीके से कार्य किये जायेंगे,



उत्तराखंड में स्थित टनकपुर पावर स्टेशन (94.2 मेगावाट) के बैराज अपस्ट्रीम का दृश्य

जिससे कि निर्धारित पर्यावरण मानकों/ दिशानिर्देशों/ मानदंडों के अनुपालन को यथासंभव सुगम बनाया जा सके।

- 6.6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनुमोदित टीओआर (टर्म्स ऑफ रेफ़ेरेंस) और सार्वजनिक जन सुनवाई (पब्लिक हियरिंग) से प्राप्त इनपुट के अनुसार सभी परियोजनाओं के ईआईए (पर्यावरण प्रभावी आंकलन) और ईएमपी (पर्यावरण प्रबंधन योजना) को तैयार किया जायेगा।
- 6.7. प्रचालित परियोजनाओं के संदर्भ में, जलमग्न क्षेत्र, भूमि उपयोग आदि में बढ़ोत्तरी के साथ (या बिना) स्थापित क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता के मामले में, नये वन मंजूरी/ पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होने पर, उन्हें मौजूदा मानदंडों के अनुसार प्राप्त किए जायेंगे।
- 6.8. परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति (कंसेन्ट टू इस्टेब्लिश) या परियोजना संचालन के लिए सहमति (कंसेन्ट टू ऑपरेट) प्राप्त करने के लिये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जिससे भी संबंधित प्रकरण हो, सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना के संचालन कार्य आरम्भ किये जायेंगे।
- 6.9. पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन, पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, परियोजना स्थापित करने के लिए सहमित, वैधानिक (स्टेचुटरी) निकायों/ एजेंसियों को वार्षिक रिटर्न जमा करने और प्रस्तुत करने की अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन आदि, संबंधित परियोजनाओं/पावर स्टेशनों द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे।

- 6.10. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत सहमत गतिविधियों के लिए उपयुक्त बजटीय प्रावधान तथा पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी में निर्धारित अतिरिक्त शर्तों को, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा परियोजना के डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोट) में उल्लेख किये जायेंगे।
- 6.11. मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए, उनके प्रतिस्थापन के प्रयास करते समय जोखिम वाली सामग्रियों के उपयोग से बचने की दिशा में उचित ध्यान दिये जायेंगे।
- 6.12. कार्यान्वित पर्यावरण प्रभावी योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी, जिससे कि उनकी प्रभावकारिता का आंकलन किया जा सके और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय यदि कोई हो, तो उसे पूर्व में ही निष्पादित किया जा सके।

7. स्वैच्छिक पहल

- 7.1. पर्यावरण संरक्षण और समाजिक कल्याण के व्यापक हित में वैधानिक दायित्वों से परे भी अनूठे स्वैच्छिक पहल को अपनाने के लिए परियोजनाओं एवं पावर स्टेशनों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 7.2. ऐसी स्वैच्छिक पहलों के लिए योजनाओं का निर्माण करते समय पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी की शतों, स्वीकृत पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा अन्य पहलों को ध्यान में रखा जायेगा, जिससे कि दोहराव या गतिविधि के अतिच्छादन से पूर्णतः बचा जा सके।
- 7.3. एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में अपनी स्वैच्छिक पहल पर ध्यान केंद्रित करने के निम्नलिखित प्रयास किए जायेंगेः



पश्चिम बंगाल <mark>स्थित टीएलडी-IV पावर स्टेशन (160 मेगावाट)</mark> के प्रतिपूरक वनीकरण क्षे<mark>त्र में विचरण करते गैंडा का दृश्य</mark>

- 7.3.1. जैव विविध<mark>ता का संरक्षण करना।</mark>
- 7.3.2. कुशल अपशिष्ट निपटान प्रबंधन; ऊर्जा और जल संरक्षण के उपाय आदि करना।
- 7.3.3. बांध अथवा जल संग्रहण युक्त परियोजनाओं में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की माप करवाना, ऑडिट करवाना और उत्सर्जन में कमी करने हेतु प्रयास करना।
- 7.3.4. परियोजना क्षेत्र में और उसके आस-पास के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वदेशी ज्ञान का सदुपयोग करना।
- 7.3.5. दुर्लभ और लुप्तप्राय वनस्पत्तियों और जीवों का संरक्षण करना।
- 7.3.6. सांस्कृतिक और विरासत स्थलों तथा दर्शनीय स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना।
- 7.3.7. पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवारों) के साथ-साथ परियोजना/ पावर स्टेशन के आस-पास रहने वाले जन-समुदायों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान करना।
- 7.4. परियोजना के निकटस्थ जन-समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता देकर स्वैच्छिक पहल के अंतर्गत सभी योजनाओं को लागू किया जायेगा।

8. प्रदूषण कम करने के उपाय

8.1. वायु प्रदूषण

- 8.1.1. परियोजना निर्माण गतिविधियों (ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन आदि) के दौरान उत्पन्न धूल को आवश्यक निवारक उपायों द्वारा नियोजित कर स्रोत पर ही नियंत्रित किए जायेंगे।
- 8.1.2. डिम्पंग स्थलों तक मलबे को ले जाने के दौरान धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे।
- 8.1.3. धूल के स्रोतों और उसके आस-पास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर वनस्पतिक आवरण के माध्यम से हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा।

8.2. जल प्रदूषण

- 8.2.1. परियोजना निर्माण गतिविधियों के दौरान टनल से निकलने वाले अपिशष्ट जल को पास की जल धाराओं जल निकायों में पहुंचने से पहले उपयुक्त तरीके से अथवा सेटलमेंट चेम्बर के माध्यम से उपचारित किया जायेगा।
- 8.2.2. उपयुक्त तरीके से उपचार करने के पश्चात, जल निकायों के लिए अंतिम रूप से छोड़े गए जल को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जायेगा।



हिमाचल प्रदेश में स्थित चमेरा-II पावर स्टेशन (300 मेगावाट) के डैम का दृश्य

- 8.2.3. विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाले तेल और ग्रीस का निपटारण कार्य उचित रूप से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति के मानदंडों/ दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित किये जायेंगे।
- 8.2.4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, कहीं भी आस-पास के जलाशयों जल निकायों में मलबे का कोई रिसाव न हो।

8.3. ध्वनि प्रदूषण

- 8.3.1. जमीनी कंपन और संबद्ध गतिविधियों से निकलने वाली ध्विन को कम करने के लिए उपयुक्त आधुनिक नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीकों का समावेश किया जायेगा।
- 8.3.2. मशीनरी, उपकरणों आदि को समय-समय पर उचित रख-रखाव करके तथा प्रभावी तकनीकी माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु हर संभव प्रयास किए जायेंगे।

8.4. डंपिं<mark>ग सामग्री का पुनर्वासः</mark>

- 8.4.1. परियोजना निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न मलबे को केवल नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित व निर्दिष्ट क्षेत्र में ही संग्रहित किए जायेंगे।
- 8.4.2. निर्दिष्ट क्षेत्र में मलबे की डंपिंग के बाद ढलानों की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु समतल या उपयोगी आकार प्रदान कर, उनपर वृक्षारोपण किए जायेंगे।
- 8.4.3. डिम्पंग क्षेत्र में विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न वनस्पत्तियाँ अर्थात वृक्षों, झाड़ियों और जड़ी-बूटियों से उपयुक्त प्रजातियों के पौधों को लागू सुरक्षा उपायों के अनुसार लगाकर, वृक्षारोपण कार्य किये जायेंगे।

- 8.4.4. जहाँ तक संभव हो, ऐसे क्षेत्रों में बहु-प्रजाति पौधारोपण कार्य किए जायेंगे।
- 8.4.5. जल धाराओं नालों, जल निकायों के निकट के क्षेत्रों में जल धारण करने वाले पौधों की प्रजातियों को लगाने का प्रयास किये जायेंगे।
- 8.4.6. ऐसे डिम्पंग क्षेत्र यदि डाइवर्टेड वन भूमि पर अवस्थित हैं, तो उन्हें वृक्षारोपण गतिविधियों के पूरा होने के पश्चात, राज्य वन विभाग को वापस सौंप दिया जायेगा।
- 8.4.7. पर्याप्त इंजीनियरिंग पद्धतियों द्वारा मक डंपिंग क्षेत्र को संरक्षित कर, उनका उचित रूप से रख-रखाव किया जायेगा, जिससे कि आस-पास के क्षेत्र में मलबे के प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

8.5. उत्खनन क्षेत्र का पुनरुद्धार

- 8.5.1. परियोजना निर्माण से जुड़े सभी उत्खनन क्षेत्रों को पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अंतर्गत पुनः व्यवस्थित कर, उस क्षेत्र का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8.5.2. पुनरुद्धारण क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए, जन-समुदायों और राज्य वन विभाग के परामर्श से, स्थानीय वनस्पत्ति प्रजातियों के चयन, उनकी विशेषता के अनुसार किए जायेंगे।

9. मूल्यांकन, आंकलन और रिपोर्टिंग

9.1. कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु की गई गतिविधियों के मूल्यांकन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा दी गई शर्तों / संबंधित निदेशक द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक पहल / योजनाओं की उपलब्धि के लिए किसी भी अतिरिक्त लक्ष्य आदि के अनुरूप किए जायेंगे।

- 9.2. परियोजना के निर्माणोंपरांत प्रभावी आंकलन अध्ययन, परियोजना के चालू होने के पांच वर्ष बाद और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं या अन्य योजनाओं (यदि कोई हो) के पूरा होने के बाद, अधिमानतः बाहरी एजेंसियों द्वारा कराए जायेंगे। पर्यावरणीय पहलों की सफलता या विफलता की डिग्री को मापने हेतु योजना के समय निर्धारित व सुनियोजित बेंचमार्क के साथ प्रभावी आंकलन का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा।
- 9.3. स्वैच्छिक पहल के अंतर्गत की गई गतिविधियों का मूल्यांकन, समय-समय पर उनकी सफलता को मापने के लिए किए जायेंगे।
- 9.4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/ अन्य पर्यावरण और वन नियामक प्राधिकरणों की वैधानिक शर्तों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन, यदि कोई हो, तो वे संबंधित निदेशक के माध्यम से निदेशक मंडल को सूचित किए जायेंगे।



राजस्थान में स्थित जैसलमर पवन ऊर्जा पावर स्टेशन (50 मेगावाट) के पवन चक्की का दृश्य

10. हितधारकों के लिए संचार सुविधा

- 10.1. पर्यावरण नीति पत्रक, 'अनुलग्नक-I' के रूप में संलग्न है।
- 10.2. पर्यावरण नीति पत्रक, भारत सरकार की मौजूदा कार्य प्रणालियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप एनएचपीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।
- 10.3. एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संरचित तरीके से कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के अनुपालन के विषय में, सभी हितधारकों एवं जनसामान्य तक सूचना को संप्रेषित किया जायेगा।
- 10.4. पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं, कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते रहेंगे।
- 10.5. बाहरी हितधारकों की सुविधा के लिए एनएचपीसी की वार्षिक रिपोर्ट में कॉपोरेट पर्यावरण नीति और अन्य पर्यावरण संबंधी गतिविधियों की जानकारी शामिल रहेंगे।
- 10.6. आवश्यकतानुसार पिरयोजना प्रभावित पिरवारों, संसदीय सिमितियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय जन-समुदायों इत्यादि जैसे हितधारकों के सलाहों/ विचारों का समावेश, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा किए जायेंगे।
- 10.7. एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, एनएचपीसी द्वारा संस्थागत निवेशकों, विक्रेताओं, उधारदाताओं आदि के विचारों पर भी उचित ध्यान दिये जायेंगे।



सिक्किम में स्थित तीस्ता-IV जलविद्युत परियोजना (520 मेगावाट) पर जन-सुनवाई के दौरान का दृश्य

11. जागरूकता और सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम

- 11.1. निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं ∕ पावर स्टेशनों और एनएचपीसी लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों के स्तर पर सभी कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु तथा उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक रखने के लिए व्यापक और व्यवस्थित तरीके से विभिन्न गतिविधियों को संचालित किए जायेंगे। इन गतिविधियों में सूचना के आदान-प्रदान के लिए सेमिनार, कार्यशाला, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ जैसेः विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित इसी प्रकार की गतिविधियाँ आदि शामिल किए जायेंगे।
- 11.2. पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, वन्यजीव, बागवानी, कृषि, वानिकी, पर्यावरण कानून आदि के विशेषज्ञों की सहायता या सेवा लेकर, विभिन्न स्तरों पर आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे, जिससे कि सभी कर्मचारियों के मध्य पर्यावरण और प्रकृति के प्रति उनका लगाव एवं निष्टा की भावना बनी रहे।



12. सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन

12.1. एनएचपीसी लिमिटेड के सभी संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को उनकी उपयुक्तता के अनुसार इस (कॉपोरेट पर्यावरण) नीति को अपनाने हेतु सूचित किए जायेंगे।

13. कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति की समीक्षा

13.1. समय की प्रगित के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिदृश्य में भी परिवर्तन या बदलाव के तथ्य अंतर्निहित होते हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पांच वर्ष में कॉपोरिट पर्यावरण नीति की पुनः समीक्षा की जायेगी, जिससे एक निश्चित समय-अंतराल पर, उस समय के दृष्टिकोण के अनुसार, नीति में उपयुक्त संशोधन किये जा सके। इसके अलावा जलविद्युत परियोजनाओं के पर्यावरण और वन पहलुओं से संबंधित राष्ट्रीय मानदंडों/ दिशानिर्देशों/ अधिनियमों में यदि कोई बड़ा बदलाव होता है, तब भी इस नीति की पुनः समीक्षा कर, तद्नुरूप उचित संशोधन किए जायेंगे।

यह नीति अगस्त, 2022 से लागू होती है।



मणिपुर में स्थित लोकतक पावर स्टेशन (105 मेगावाट) के पावर चैनल के दोनों ओर विकसित वनीकरण कार्य



केंद्र शासित प्रदेश जम्मू & कश्मीर स्थित किशनगंगा पावर स्टेशन के अंतर्गत विकसित निशात पार्क का दृश्य

कृपया ध्यान दें :

कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के हिंदी संस्करण में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण की व्याख्या मान्य होगी।



'अनुलग्नक - I'

कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति का कथन या पत्रक

हमारा लक्ष्य

- ऊर्जा के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों के संधारणीय विकास के लिए पर्यावरणीय एवं सामाजिक मामलों के संबद्ध चिंताओं को दूर करना।
- महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों वाली अपनी परिचालन संबंधी गतिविधियों को आँकने और उनकी निगरानी के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।

हमारी प्रतिबद्धताएँ

- परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और
 परिचालन में पर्यावरणीय विचारों को समाहित
 करना।
- पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों से निपटने के लिए "परिहार, लघुकरण, बचाव के उपाय एवं क्षतिपूर्ति" की नीति का पालन करना।
- उपयुक्त पर्यावरणीय कानूनों का पालन करना तथा
 सर्वोत्तम पर्यावरण कार्य प्रणालियों को अपनाना।

 अपनी गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना एवं पर्यावरणीय जोखिमों को कम करना।

हमारे प्रयास

- कर्मचारियों, ठेकेदारों और स्थानीय जन-समुदाय को पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के बारे में अवगत कराना एवं उन्हें इसके समर्थन के लिए प्रेरित करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना एवं उनकी सुरक्षा, संरक्षण और उत्थान के लिए योगदान देना।
- अपने व्यापार के संचालन और कार्यों में पर्यावरणीय निष्पादन का निर्वाह एवं निरंतर सुधार करना तथा अपनी वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों के आलोक में पर्यावरण के सामाजिक दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से समय-समय पर अपनी पर्यावरण नीति की समीक्षा करना।

मार्च 2025

(आर<mark>. के. चौधरी)</mark> अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ITO ONO - Trey?







्रक्रम संख्या	सूचकांक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	22
2.	परिचय	22
3.	उपादेयता	22
4.	उद्देश्य	22
5.	संगठनात्मक ढांचा	23
6.	हमारी नीति	23
7.	मूल्यांकन और आंकलन	24
8	हितधारकों के लिए संचार सुविधा	25
9	जागरूकता और सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम	25
10	सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन	25
11	उत्तरदायित्व	25
12	जैव विविधता नीति की समीक्षा	25

1. प्रस्तावना

- 1.1. एक संगठन के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अपने व्यवसाय संचालन के माध्यम से पर्यावरण और समाज पर समान महत्व देते हुए सतत् विकास की धारणा को अंगीकार किया गया है। पर्यावरण का संरक्षण करना कंपनी के मूल उद्देश्यों में से एक है।
- 1.2. एनएचपीसी की जैव विविधता नीति का उद्देश्य, व्यवसाय संचालन में पर्यावरणीय नैतिकता को सम्बल प्रदान करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर संभावित प्रभावों को सीमित करना है।
- 1.3. नीति वृतांत: "एनएचपीसी लिमिटेड अपनी सभी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और प्रतिष्ठानों के आस-पास जैव विविधता के संरक्षण हेतु पर्यावरण सुरक्षा उपायों, प्रथाओं और विचारों का अनुपालन करते हुए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है।"

2. परिचय

- 2.1. पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद प्रजातियों की उत्तरजीविता एवं संचरण, दुनिया के किसी भी हिस्से में जैव विविधता प्रबंधन के आधारशिलाओं में से एक होता है।
- 2.2. एक पारिस्थितिकी तंत्र की साकल्यता को बनाए रखने में पर्यावास संरक्षण करना पूर्वाकांक्षित होता है।
- 2.3. विकासात्मक गतिविधियाँ संभावित रूप से पर्यावास और आस-पास क्षेत्र की जैव विविधता को प्रभावित कर सकती हैं।

2.4. जैव विविधता नीति, 2023, एनएचपीसी की कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति, 2022 का आयाम है, जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने और संगठन, लोगों तथा धरातल के सतत् विकास में योगदान देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर पुनः जोर देती है।

3. उपादेयता

3.1. यह नीति एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।

4. उद्देश्य

यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है:

- 4.1. परियोजना के अन्वेषण, योजना, निर्माण और पश्चात के क्रमिक चरणों के दौरान अपनी सभी रणनीतिक व्यावसायिक विकास गतिविधियों में सर्वोत्तम जैव विविधता प्रबंधन प्रणालियों को अपनाकर, जैव विविधता के संरक्षण पर विशेष महत्व देना।
- 4.2. जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन पर उचित विचार करते हुए पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित सभी प्रासंगिक अधिनियमों/ दिशानिर्देशों/ नीतियों का दृढ़ता से अनुपालन करना।



हिमाचल प्रदेश में स्थित चमेरा-III पावर स्टेशन (231 मेगावाट) के डाउनस्ट्रीम का दृश्य

- 4.3. परियोजना निर्माण गतिविधियों के कारण जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोत्तम आधुनिक प्रणालियों को अपनाना।
- 4.4. कंपनी में जैव विविधता संरक्षण के उपाय, सिर्फ नियामक अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि क्षेत्र की जैव विविधता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासों की ओर भी उन्मुख रहना।

5. संगठनात्मक ढांचा

यह नीति, कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति, 2022 के अनुरूप, अपने संगठनात्मक ढांचे में तीन स्तरीय संरचनाओं के लिए निर्धारित है:

- 5.1. कॉपोरेट स्तर: जैव विविधता संरक्षण में योजना तैयार करना, निगरानी करना और सहायता प्रदान करना; केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना और जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ संशोधन के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।
- 5.2. **क्षेत्रीय स्तर**ः जैव विविधता संरक्षण उपायों का अनुपालन और निगरानी करना।
- 5.3. परियोजना स्तर : पर्यावरण, वन और वन्यजीव पहलुओं से संबंधित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना; विनियामक और स्वैच्छिक जैव विविधता संरक्षण उपाय करने के लिए हितधारकों और निगम मुख्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना; उचित दस्तावेजी रिकॉर्ड, फोटोग्राफ, वीडियो ग्राफ इत्यादि उपलब्ध रखना∕ कराना।

6. हमारी नीति

6.1. सभी व्यावसायिक विकास और निर्णय लेने की प्रिक्रियाओं में आवश्यक महत्व देते हुए जैव विविधता संरक्षण को सिक्रय रूप से शामिल किया जायेगा।

- 6.2. अपने व्यवसाय संचालन एवं आस-पास क्षेत्र की स्वदेशी एवं स्थानीय प्रजातियों की वनस्पतियों और जीवों के रक्षा पर विशेष महत्व देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक पहल किए जायेंगे।
- 6.3. अपने व्यवसाय संचालन क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान कर, उन्हें कमतर करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा, ताकि क्षेत्र में जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाया जा सके।
- 6.4. अपने व्यवसाय संचालन के आस-पास स्थित महत्वपूर्ण पर्यावासों पर नकारात्मक प्रभाव को नगण्य रखने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- 6.5. जब भी आवश<mark>्यक हो, जैव विविधता संरक्षण पहलों</mark> के लिए उपयुक्त बजटीय प्रावधान रखे जायेंगे।
- 6.6. परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों को पर्यावरण संरक्षण के व्यापक हित में संचालन के अपने सभी वर्तमान और संभावित क्षेत्रों में वैधानिक आवश्यकता और दायित्व से परे स्वैच्छिक संरक्षण पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 6.7. वनस्पित आवरण को बढ़ाने एवं मृदा अपरदन पर नियंत्रण हेतु जलविद्युत परियोजनाओं की महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ जैसेः प्रतिपूरक वनीकरण, जलाशय परिधि उपचार और जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों द्वारा राज्य सरकार के वन विभाग के साथ संपर्क स्थापित किया जायेगा।




केंद्र शासित प्रदेश जम्मू & कश्मीर में स्थित सलाल पावर स्टेशन (690 मेगावाट) के डैम का रात्री समय का दृश्य

- 6.8. पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं/ स्वीकृतियों/ अनुमोदनों में निर्धारित अन्य जैव विविधता संरक्षण उपायों को यथार्थ भावना के साथ लागू किया जायेगा।
- 6.9. वृक्षारोपण गतिविधियों में स्वदेशी प्रजातियों के पौधों के चयन पर विशेष महत्व दिया जायेगा।
- 6.10. परियोजना क्षेत्र में जैव विविधता बढ़ाने के लिए राज्य वन विभाग और अन्य विशेषज्ञ संगठनों के परामर्श से मलबे के डंपिंग स्थलों और अन्य उत्खनन स्थलों पर स्थानीय/ स्वदेशी प्रजातियों के पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी-बूटियों वाले पौधे लगाए जायेंगे।
- 6.11. अपने व्यवसाय संचालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण वनस्पत्तियों, जीव-जंतुओं और दुर्लभ लुप्तप्राय संकटग्रस्त (आरईटी) प्रजातियों के पुनर्वास और संचरण के लिए इन-सीटू संरक्षण रणनीतियों के अंतर्गत पार्क (जैसे हर्बल पार्क, बटरफ्लाई पार्क आदि), उद्यान, नर्सरी, ऑर्किडेरियम, आर्बोरेटम, बम्बुसेटम, प्रजनन केंद्र, हैचरी इत्यादि विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 6.12. जलीय जीव-जंतुओं के निर्वाह के लिए नियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यावरण प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ मत्स्य प्रबंधन के समुचित उपाय किए जायेंगे।
- 6.13. स्थानीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की प्रजातियों को नया पर्यावास प्रदान करने के लिए परियोजना क्षेत्र के चारों ओर फलदार पेड़ों एवं खाद्य पौधों के साथ हरित पट्टी विकसित किए जायेंगे।

- 6.14. दवाई/ चारे और अन्य उद्देश्यों में स्थानीय वनस्पत्ति प्रजातियों के उपयोग पर पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए स्थानीय समुदायों की मदद करने के हरसंभव प्रयास किए जायेंगे।
- 6.15. परियोजना संचालन के व्यावसायिक क्षेत्र में और उसके आस-पास, महत्वपूर्ण संरक्षण पहलों के लिए हितधारकों, विशेषकर राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर कार्य किए जायेंगे।
- 6.16. परियोजना संचालन के सभी क्षेत्रों में विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव या निर्देशानुसार महत्वपूर्ण विशेष अवसर पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियां क्रियान्वित किए जायेंगे।

7. मूल्यांकन और आंकलन

7.1. जैव विविधता नीति के तहत की जाने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन, कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति, 2022 के ढांचे के अनुरूप किया जायेगा।



सिक्किम में स्थित रंगीत पावर स्टेशन (60 मे<mark>गावाट)</mark> के पावर हाउस का दुश्य

8. हितधारकों के लिए संचार सुविधा

- 8.1. जैव विविधता नीति पत्रक, 'अनुलग्नक-II' के रूप में संलग्न है।
- 8.2. जैव विविधता नीति पत्रक को, एनएचपीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 8.3. एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संरचित तरीके से अपनी जैव विविधता नीति के अनुपालन के विषय में, अपने सभी हितधारकों तक सूचना को संप्रेषित किया जायेगा।
- 8.4. एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संस्थागत निवेशकों/विक्रेताओं/ उधारदाताओं आदि के विचारों पर भी उचित ध्यान दिया जायेगा।

9. जागरूकता और सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम

- 9.1. विश्व पर्यावरण दिवस के उत्सव, वन महोत्सव और पर्यावरण जागरूकता के लिए किसी भी अन्य स्थानीय कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन के विषयों को भी शामिल किये जायेंगे।
- 9.2. कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए समय-समय पर विभिन्न जैव विविधता संरक्षण मुद्दों पर सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

10. सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन

10.1. एनएचपीसी लिमिटेड के सभी संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को उनकी उपयुक्तता के अनुसार इस नीति को अपनाने हेतु सूचित किया जायेगा।

11. उत्तरदायित्व

- 11.1. प्राधिकृत नोडल विभाग यानी 'पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग' द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह नीति कंपनी में सर्वत्र लागू की जाये।
- 11.2. परियोजनाओं पावर स्टेशनों क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके संबंधित प्रमुखों द्वारा और कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. जैव विविधता नीति की समीक्षा

12.1. भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, उपयुक्त संशोधन करने के उद्देश्य से, प्रत्येक पांच वर्ष में इस नीति की समीक्षा की जायेगी। हालांकि, पर्यावरणीय परिदृश्य में किसी भी बड़े बदलाव को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता के अनुरूप इस नीति की समीक्षा पहले भी की जा सकती है।

यह नीति, दिनांक 28.03.2023 से लागू होती है।

कृपया ध्यान दें:

जैव विविधता नीति के हिंदी संस्करण में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण की व्याख्या मान्य होगी।



'अनुलग्नक - II'

जैव विविधता नीति पत्रक

हमारा लक्ष्य

- सक्षम, जिम्मेदार और अभिनव मान्यताओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के सतत् विकास के लिए जैव विविधता संबंधी प्रयोजनों पर ध्यान आकर्षित करना।
- सभी रणनीतिक व्यावसायिक विकास गतिविधियों
 में सर्वोत्तम प्रबंधन प्रणालियों को अपनाकर, जैव विविधता के संरक्षण पर विशेष महत्व देना।

हमारी प्रतिबद्धताएँ

- सभी व्यावसायिक विकास और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आवश्यक महत्व देते हुए जैव विविधता संरक्षण को सक्रिय रूप से शामिल करना।
- स्वदेशी प्रजातियों की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण पर विशेष महत्व देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक पहल करना।

हमारे प्रयास

- पिरयोजना संचालन के क्षेत्र में और उसके आस-पास, महत्वपूर्ण संरक्षण पहलों के लिए हितधारकों, विशेषकर राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर कार्य करना।
- परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों को पर्यावरण संरक्षण के व्यापक हित में संचालन के अपने सभी वर्तमान और संभावित क्षेत्रों में वैधानिक आवश्यकता और दायित्व से परे स्वैच्छिक संरक्षण पहल करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- अपने व्यवसाय संचालन के आस-पास स्थित महत्वपूर्ण पर्यावासों पर नकारात्मक प्रभाव को नगण्य रखने पर विशेष ध्यान देना।

मार्च 2025

(आर. के. चौधरी) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक







1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

सूचकांक क्रम संख्या पृष्ठ संख्या प्रस्तावना 29 परिचय 29 उपादेयता 29 उद्देश्य 29 हमारी नीति 29 मूल्यांकन और आंकलन 31 हितधारकों के लिए संचार सुविधा 31 जागरूकता और सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम 31 सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन 31

अपशिष्ट प्रबंधन नीति की समीक्षा

31

1. प्रस्तावना

- 1.1 अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। एनएचपीसी की अपशिष्ट प्रबंधन नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपने व्यवसाय संचालन से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है।
- 1.2 नीति वृतांतः एनएचपीसी लिमिटेड, सरकार द्वारा लागू अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप नैतिक प्रथाओं के माध्यम से कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रयासरत है।

2. परिचय

- 2.1 संकटजनक और गैर-संकटजनक, बायोमेडिकल, ठोस एवं ई-अपशिष्ट सहित सभी प्रकार के अपशिष्ट का प्रबंधन और निपटान, पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंश है।
- 2.2 एनएचपीसी लिमिटेड की अपनी एक ई-अपशिष्ट नीति उपलब्ध है।
- 2.3 एनएचपीसी की अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2023, कंपनी की कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के माध्यम से प्रदर्शित प्रतिबद्धता का एक आयाम है, जो संगठन के दृष्टिकोण और मिशन के साथ भी जुड़ा हुआ है।

3. उपादेयता

- 3.1 यह नीति एनएचपीसी लिमिटेड की सभी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।
- 4. उद्देश्य

यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित हैः

- 4.1. उत्पादन स्रोत पर ही अपिशष्ट के उत्पादन को कम करने हेतु सफल प्रणालियों को अपनाना।
- 4.2. परियोजना में व्यवसाय संचालन गतिविधियों के सभी चरणों के दौरान सर्वोत्तम अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना।
- 4.3. विभिन्न गतिविधि<mark>यों से निकलने वाले अपशिष्ट का</mark> उचित निपटान, निर्धारित प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुरूप सुनिश्चित करना।
- 4.4. तीन "आर" (रिड्यूस कम उपयोग करें; रियूज पुनः उपयोग करें; रिसाइकल पुनर्चक्रण) के सिद्धांत का पालन करना।

हमारी नीति

5.1 एनएचपीसी लिमिटेड के सभी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने संबंधित हितधारकों (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/ जिला प्रशासन और शहरी/ स्थानीय निकायों) के परामर्श और समन्वय से निवारक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन किया जायेगा।



केंद्र शासित प्रदेश जम्मू & कश्मीर में स्थित सलाल पावर स्टेशन (690 मेगावाट) के डैम का पूर्ण दृश्य

- 5.2 प्रत्येक परियोजना/ पावर स्टेशन/ प्रतिष्ठान द्वारा प्रासंगिक नियमों के दायरे में रहकर अपशिष्ट निपटान में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा।
- 5.3 प्रतिष्ठित सरकारी संगठनों/ विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान केंद्रों/ गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली नवीनतम तकनीक को शामिल किया जायेगा।
- 5.4 निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न सभी मलबे का केवल पूर्व निर्धारित व पारित डंपिंग स्थलों पर ही निपटान किया जायेगा।
- 5.5 मलबे का निस्तारण, डंपिंग साइट की अनुमानित क्षमता के अनुसार व सावधानीपूर्वक किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि डंपिंग साइट्स से आसपास के जंगलों/ जल निकायों/ क्षेत्रों में मलबे का रिसाव नहीं हो या न फैले।
- 5.6 परियोजना निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न मलबे का, उनकी उपयुक्तता के अनुरूप विभिन्न क्रियाकलापों जैसे सड़क निर्माण, समुच्चय, निचले क्षेत्रों की भराई आदि कार्यों के माध्यम से पुनः उपयोग किया जायेगा।
- 5.7 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति/ जिला प्रशासन आदि के परामर्श से घरेलू ठोस अपशिष्ट का निपटान किया जायेगा। जहां तक संभव हो, जैविक कचरे को खाद में बदलने के समुचित उपाय किए जायेंगे, जो बाद में व्यावसायिक स्थानों पर उपयोग किए जाने के साथ-साथ स्थानीय लोगों में वितरित किये जायेंगे।

- 5.8 आवसीय कॉलोनी/ विद्युत गृह/ कार्यालय में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों/ दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जायेगा।
- 5.9 व्यावसायिक स्थानों पर ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिक कॉलोनियों और उनके विन्यास में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन उपायों को लागू किया जायेगा।
- 5.10 भारत सरकार∕ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के "सामान्य निस्सरण मानकों" का अनुपालन करते हुए केवल उपचारित अपशिष्ट जल को प्रवाहित किया जायेगा। किसी भी प्रतिष्ठान से अनुपचारित अपशिष्ट जल के सावधानीपूर्वक निपटान के लिए उचित सीवेज उपचार सुविधाएं, सोखने के गड़े, सेप्टिक टैंक आदि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5.11 प्राकृतिक निकायों में प्रवाहित करने या किसी भी अन्य उपयोग में लाने से पहले, वर्कशॉप/ निर्माण स्थलों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को मानक मानदंडों के अनुसार सेटलिंग चौंबर्स/ सेडिमेंट टेंकों, तेल विभाजक और इन-सीटू उपचारों के माध्यम से पारगम्य किया जायेगा।
- 5.12 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/
 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के दिशानिर्देशों
 के अनुसार अपशिष्ट स्क्रैप सामग्री, धातु, अपशिष्ट
 तेल, बैटरी, परियोजना औषधालयों से जैव
 चिकित्सा अपशिष्ट आदि के निपटान के लिए
 उचित प्रबंधन प्रणालियों का अनुपालन किया
 जायेगा।

- 5.13 सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों, मजदूरों और परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों/ प्रतिष्ठानों, जैसा भी मामला हो, की गतिविधियों से जुड़े अन्य लोगों के संवेदीकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।
- 5.14 भारत सरकार/ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार अपने किसी भी प्रतिष्ठानों में 'सिंगल-यूज़-प्लास्टिक' का उपयोग नहीं किया जायेगा।

6. मूल्यांकन और आंकलन

- 6.1 प्राधिकृत नोडल विभाग यानि 'पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग' द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह नीति कंपनी में सर्वत्र लागू की जाये।
- 6.2 परियोजनाओं / पावर स्टेशनों / क्षेत्रीय इकाइयों में उनके संबंधित प्रमुखों द्वारा और कॉर्पोरेट स्तर पर ईएमएस विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. हितधारकों के लिए संचार सुविधा

- 7.1 अपशिष्ट प्रबंधन नीति पत्रक, एनएचपीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जायेंगे।
- 7.2 एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संस्थागत निवेशकों/ विक्रेताओं/ उधारदाताओं आदि के विचारों पर भी पर उचित ध्यान दिये जायेंगे।

8. जागरूकता और सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम

8.1 कंपनी के कर्मचारियों, अनुबंध श्रमिकों और टाउनशिप निवासियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देशों और प्रणालियों पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

9. सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन

9.1 एनएचपीसी लिमिटेड के सभी संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को उनकी उपयुक्तता के अनुसार इस (अपशिष्ट प्रबंधन) नीति को अपनाने हेतु सूचित किया जायेगा।

10. अपशिष्ट प्रबंधन नीति की समीक्षा

10.1 आवश्यकता और अनुकूलता के अनुरूप, उपयुक्त संशोधन करने के उद्देश्य से, प्रत्येक पांच वर्ष में इस नीति की समीक्षा की जायेगी। हालाँकि, समय दर समय विकसित हो रहे व्यावसायिक पर्यावरण परिदृश्य के अनुसार, इसकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता के अनुरूप इस नीति की समीक्षा पहले भी की जा सकती है।

यह नीति, दिनांक 28.03.2023 से लागू होती है।

कृपया ध्यान दें:

अपशिष्ट प्रबंधन नीति के हिंदी संस्करण में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण की व्याख्या मान्य होगी।







सूचकांक क्रम संख्या पृष्ठ संख्या परिचय 1. 34 उपादेयता 2. 34 3. हमारी नीति 34 मूल्यांकन और आंकलन 4. 34 हितधारकों के लिए संचार सुविधा 5. 35 जागरूकता और सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम 6. 35 सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन 35 7. जल संरक्षण नीति की समीक्षा 8. 35

1. परिचय

- 1.1 पृथ्वी पर सभी जीवन शक्तियों के अस्तित्व और भरण-पोषण के लिए जल सबसे अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। जल संरक्षण और प्रबंधन हमारे देश के पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- 1.2 एनएचपीसी लिमिटेड अपनी निर्दिष्ट पर्यावरण संरक्षण रणनीति के साथ-साथ जल संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एनएचपीसी की जल संरक्षण नीति, कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और कार्यप्रणालियों में अंतर्निहित प्रयासों के माध्यम से सतत् विकास के अपने उद्देश्यों की पुनः पुष्टि करती है।

2. उपादेयता

2.1 यह नीति एनएचपीसी लिमिटेड की सभी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।

3. हमारी नीति

एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अपनी जल संरक्षण नीति के माध्यम से निम्नलिखित प्रयास किए जायेंगे:

- 3.1 जल संरक्षण और प्रबंधन के सार तत्वों के साथ-साथ सभी नियामक ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3.2 अपने प्रत्येक प्रतिष्ठान में जल की खपत के पैटर्न की पहचान करने के लिए स्वैच्छिक पहल किए जायेंगे और कुशल जल प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से जल के उपयोग को अनुकूलित करके

जल के फुटप्रिंट को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे।

- 3.3 अपनी योजना और रणनीति में वर्षा जल संचयन उपायों को एकीकृत कर, इनके प्रतिपादन सभी स्थानों पर सुनिश्चित किए जायेंगे।
- 3.4 सामर्थ्य संवर्धन, पुनर्चक्रण, पुनर्भरण और पुनरूपयोग के माध्यम से जल संरक्षण पर ध्यान देने के साथ-साथ नवीनतम तकनीकी प्रणालियों के उपयोग पर विशेष महत्व दिया जायेगा।
- 3.5 सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हुए अपशिष्ट जल और डिस्चार्ज (यदि कोई हो) को उचित निपटान प्रणाली जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या अन्य साइट उपयुक्त उपाय के माध्यम से सुनिश्चित करके अपने सभी प्रतिष्ठानों/ क्षेत्रों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जायेंगे।
- 3.6 ज<mark>ल संरक्षण उपायों की योजना बनाते समय</mark> सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिये जायेंगे।

4. मूल्यांकन और आंकलन

4.1 प्राधिकृत नोडल विभाग यानी 'पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग' द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह नीति कंपनी में सर्वत्र लागू की जाये।



पश्चिम बंगाल में स्थित टीएलडी-III पावर स्टेशन (13<mark>2 मे</mark>गावाट) के रिवर डाउन्स्ट्रीम का दृश्य

4.2 परियोजनाओं / पावर स्टेशनों / क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके संबंधित प्रमुखों द्वारा और कॉर्पोरेट स्तर पर ईएमएस विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. हितधारकों के लिए संचार सुविधा

- 5.1 जल संरक्षण नीति पत्रक, एनएचपीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जायेंगे।
- 5.2 एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संस्थागत निवेशकों/ विक्रेताओं/ उधरदाताओं आदि के विचारों पर भी उचित ध्यान दिया जायेगा।

6. जागरूकता और सामर्थ्य संवर्धन कार्यक्रम

- 6.1. सभी कर्मचारियों और संबंधित हितधारकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक रखने के उद्देश्य से या संवेदीकरण के लिए निश्चित अंतराल पर एनएचपीसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम (जो सुग्राही रहेंगे) आयोजित किए जायेंगे।
- 6.2. कर्मचारियों की आदर्श शृंखला और स्थानीय समुदाय में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एनएचपीसी द्वारा समय-समय पर सार्थक अभियान और रैली आयोजित किए जायेंगे।

6.3. जल संबंधी नवीनतम अध्ययन रिपोर्ट, शोध, निष्कर्ष, नवाचार आदि नियमित रूप से सभी कर्मचारियों को प्रसारित किए जायेंगे।

7. सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन

7.1 एनएचपीसी लिमिटेड के सभी संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियों और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को उनकी उपयुक्तता के अनुसार इस (जल संरक्षण) नीति को अपनाने हेतु सूचित किया जायेगा।

8. जल संरक्षण नीति की समीक्षा

8.1 आवश्यकता और अनुकूलता के अनुरूप, उपयुक्त संशोधन करने के उद्देश्य से, प्रत्येक पांच वर्ष में इस नीति की समीक्षा की जायेगी। हालाँकि, समय दर समय विकसित हो रहे व्यावसायिक पर्यावरण परिदृश्य के अनुसार, इसकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता के अनुरूप इस नीति की समीक्षा पहले भी की जा सकती है।

यह नीति, दिनांक 28.03.2023 से लागू होती है।

कृपया ध्यान दें :

जल संरक्षण नीति के हिंदी संस्करण में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण की व्याख्या मान्य होगी।







Sl. No.	Index Pa	age No.
1.	Preamble	38
2.	Introduction	38
3.	Applicability	39
4.	Objectives	39
5.	Organisational Framework	39
6.	Our Policy	40
7.	Voluntary Initiatives	41
8.	Measures to Mitigate Pollution	41
9.	Evaluation, Assessment and Reporting	43
10.	Communication to Stakeholders	43
11.	Awareness and Capacity Building Programme	e 44
12.	Applicability to Subsidiary Companies	44
13.	Review of Corporate Environment Policy	44
14.	Abbreviations	44

1. PREAMBLE

- 1.1. NHPC, since its inception, is committed to h y dropower generation in environmentally sustainable and socio-economically responsive manner and aims for minimum disturbance and exploitation of natural resources and it undertakes various conservation measures to counter the inescapable impacts on environment.
- 1.2. The Vision of NHPC is to be a global leading organization for sustainable development of clean power through competent, responsible and innovative values.
- 1.3. Concern for environment & ecology and project affected people is one of the core values of the company. NHPC, as an organization, believes in long term sustainable development by giving equal importance to environmental, social and economic development.
- 1.4. NHPC's Corporate Environment Policy aims at institutionalizing environmental ethics in our business activities for equitable growth in terms of economic and social advancement for attaining sustainability in a true sense.

1.5. NHPC's POLICY STATEMENT:

"NHPC Limited strives to provide clean and green energy by committing to compliance of environmental safeguard measures, practices with involvement of local communities and stakeholders."

2. INTRODUCTION

2.1. NHPC Limited as one of the largest hydropower developer in the country with its mission to execute and operate projects

- through state-of-the-art technologies and optimum use of natural resources recognizes that protection and preservation of environment is crucial for sustainable development.
- 2.2. NHPC Limited subscribes to the practices of best Environmental, Social and Corporate Governance with a competent and strong identity having due concern towards environment and society.
- 2.3. NHPC Limited hereby adopts the Corporate Environment Policy, 2022 superseding its earlier policy document of May, 2016. The policy is intended to provide actionable framework-guidance as NHPC Limited endeavours to optimise use of natural resources through effective management while strictly abiding the prescribed environmental norms for development of hydropower and other renewable energy in India.
- 2.4. Corporate Environment Policy, 2022 is a statement of NHPC's commitment to fulfill its responsibility towards protection of environment and contributing to sustainable development of organization, people and the planet.
- 2.5. NHPC's key stakeholders include Employees, Shareholders, Project Affected Families, Local Communities, Local Bodies such as Panchayat, Block and District Administration, State Forest Deptt., State Pollution Control Board, etc.



Barrage Downstream view of TLD-III PS (132 MW), West Bengal

2.6. The thrust of the CEP are given as under:

- 2.6.1. Conducting the business in an environmentally and socially responsible manner with expected standards of transparency in reporting and disclosing the environmental performance of projects/ activities. This will help in winning the trust and confidence of all stakeholders and will promote social and environmental sustainability.
- 2.6.2. Sensitizing all employees and other stakeholders towards the importance of improving the environmental performance of the company and the need to adopt socially and environmentally sustainable methods.
- 2.6.3. Integrating environmental considerations into Planning, Execution and Operation of the Projects.
- 2.6.4. Addressing the environmental and social concerns of key stakeholders directly impacted by NHPC's business activities.

3. **APPLICABILITY**

3.1. This policy shall be applicable to all Projects, Power Stations etc. Each employee of NHPC Limited shall be made an esteemed partner in implementation of the policy.

4. **OBJECTIVES**

This policy is based on the following objectives:

4.1 Taking into account the environmental protection measures from the conceptualization stages of planning and design, so as to lay a broad and comprehensive foundation for environment protection and preservation.

- 4.2. To adopt and nurture best environment management practices during investigation, construction and post-commissioning stages of the projects.
- 4.3. Compliance of all relevant Act(s)/
 Guideline(s)/ Policy (ies) related to
 Environment, Forests and Wildlife.
- 4.4. Monitoring and evaluation with the help of new techniques.
- 4.5. Nurture each human resource of the company by continuously improving their awareness, helping to increase levels of commitment.

5. ORGANISATIONAL FRAMEWORK

This policy prescribes for three level structures in its organisational framework:

- 5.1. Corporate Level Planning, monitoring & assistance in Environment Clearance, Forest Clearance, Wildlife Clearance, Land Acquisition, Research & Development works, Post Construction EIA Study, Coordination with Central Government agencies and suggesting corrective measures for improvement wherever required.
- 5.2. Regional Level Monitoring of compliances stipulated in Environment, Forest Wildlife Clearances and Land Acquisition process. Coordination with State Government, Regional Offices of MoEF&CC, GoI and Corporate Office. Assistance to Projects and Power Stations for smooth implementation of Environment Management Measures prescribed by MoEF&CC, SPCBs and other regulatory agencies.

5.3. Power Station/Project Level - Obtaining of approvals related to Environment, Forest and Wildlife Clearances and Land Acquisition for respective projects & power stations, Coordination with State and Central Government agencies and Corporate Office, Obtaining Consent to Establish and Consent to operate within time limit as the case may be from SPCB/ PCC. Compliances of measures stipulated in Forest, Environment and Wildlife Clearances, taking due cognizance of the sentiments of local communities while undertaking Environment Management Measures, regular interaction with all local stakeholders e.g. State Forest Department, SPCB/ PCC, District Administration, other local/urban bodies, PAFs and local communities, keeping proper documentary records, photographs, video clippings etc.

Taking due care so as to avoid any violation of Environment, Forest and Wildlife Acts/ Rules & Regulations/ Guidelines. Continuous coordination with Environment & Diversity Management Division at Corporate Office for reporting compliances of conditions of MoEF&CC, GoI, Regional Offices of MoEF&CC and any other State/ Central Regulatory Authorities. Project personnel should proactively engage with PAFs to settle issues/ grievances in consultation with District Administration.

6. **OUR POLICY**

NHPC Limited shall strive to achieve its organisational commitments and objectives through this policy. NHPC Limited shall -

6.1. Adopt a proactive environment and society centric approach as one of its essential consideration in strategy, business development and decision making process.

- 6.2. Identify and mitigate environmental impacts by using modern technological advancement in science and practices.
- 6.3. Ensure efficient and optimum use of natural resources like soil, water, fuel, construction materials etc.
- 6.4. Important societal issues will be given due weightage while deciding best alternative for project components.
- 6.5. Planning and design aspects shall be carried out in such a manner, so as to facilitate compliance of stipulated environmental standards/ guidelines/norms.
- 6.6. EIA & EMP of all projects shall be formulated as per the approved ToR and inputs from public consultation for obtaining Environment Clearance from MoEF&CC, GoI.
- 6.7. In case of existing projects, requiring enhancement of installed capacities with or without increase in submergence area, land use etc., fresh Forest/ Environment Clearance will be required to be sought as per the existing norms.
- 6.8. The projects shall be operated after obtaining Consent to Establish/ Consent to Operate from SPCB/ PCC as the case may be.
- 6.9. The implementation of EMP, compliances of other statutory requirements of Environment Clearance, Forest Clearance, Consent to establish, Consent to operate and submission of annual returns to statutory bodies/ agencies are to be ensured by respective projects/ power stations.

- 6.10. Suitable budgetary provisions for agreed activities under EMPs and additional conditions stipulated in Environment, Forest and Wildlife Clearances will be made by NHPC Limited in the DPR.
- 6.11. Due focus will be given towards avoidance of use of hazardous materials while making efforts for their substitutions, so as to minimise the impact on human health and environment.
- 6.12. Implemented EMPs shall be periodically reviewed for assessing their efficacy and taking suitable remedial measures if any, beforehand.

7. VOLUNTARY INITIATIVES

- 7.1. Power Stations & Projects will be encouraged to take up unique Voluntary Initiatives beyond statutory obligations in the larger interest of environment protection and welfare of society in general.
- 7.2. Formulation of plans for such Voluntary Initiatives will be done keeping in view of the Environment & Forest clearance conditions, approved EMPs or other initiatives taken to avoid overlapping/duplicacy of the works/initiatives.
- 7.3. NHPC Limited will endeavour to concentrate its voluntary initiatives in the following thrust areas:
- 7.3.1. Conservation of Biodiversity.
- 7.3.2. Efficient waste disposal management, measures for energy and water conservation etc.
- 7.3.3. Measurements, audit and reduction in Green House Gas emissions (in projects having storage/pondage).

- 7.3.4. Utilization of indigenous knowledge for environmental protection and biodiversity conservation in and around the project area.
- 7.3.5. Protection of rare and endangered flora & fauna.
- 7.3.6. Protection and preservation of cultural and heritage sites and scenic spots.
- 7.3.7. Socio-economic upliftment of PAFs as well as people living in the vicinity of the Project/ Power Station.
- 7.4. Schemes under voluntary initiatives shall be implemented preferably with public/community participation.

8. MEASURES TO MITIGATE POLLUTION

8.1. **Air Pollution**

- 8.1.1. Dust generated during construction activities (drilling, blasting, loading, unloading, transportation etc.) is required to be controlled at the source by employing necessary preventive measures.
- 8.1.2. Special efforts to be made to control dust emission during transportation of muck to the dumping sites.
- 8.1.3. Greenbelt by way of increasing vegetation cover is to be created in and around the sources of dust.



Power House view of Dhauliganga PS (280 MW), Uttarakhand

8.2. Water Pollution

- 8.2.1. Waste water discharge from tunnels during construction activities is required to be suitably treated/ passed through settlement chambers before allowing them to reach nearby streams/ water bodies.
- 8.2.2. The final discharged water should confirm to the norms of CPCB for such matter.
- 8.2.3. Oil and grease utilized for different purposes shall be properly disposed of as per norms/ guidelines of CPCB/ SPCB/ PCC.
- 8.2.4. Taking utmost care for ensuring no spillage of muck/ debris into adjoining water bodies.

8.3. **Noise Pollution**

- 8.3.1. Suitable modern control blasting techniques shall be followed to minimize ground vibration and noise emitting from associated activities.
- 8.3.2. All out efforts to be undertaken to minimize noise pollution through effective and timely maintenance of machinery, equipment etc.

8.4. Rehabilitation of dumping materials

- 8.4.1. The muck generated from construction activities are to be stored only on designated area approved/ permitted by regulatory authorities.
- 8.4.2. Slopes after dumping on such areas are to be suitably labelled/ terraced for effecting stability and subsequent plantation.

- 8.4.3. Plantation on such areas are to be undertaken in collaboration with expert agencies as per the applicable safeguard measures by planting suitable species from different vegetation layers i.e. trees, shrubs and herbs.
- 8.4.4. As far as possible poly-species plantation on such areas is to be undertaken.
- 8.4.5. Efforts to be made to use water retaining plant species on the areas nearer towards streams/nallas, water bodies.
- 8.4.6. Such dumping areas if located on diverted forest land to be handed over back to the State Forest Department after completion of plantation activities.
- 8.4.7. Proper care is to be taken so that the muck dumping area is properly protected by adequate engineering methods so that the over flow of material into adjoining area is effectively prevented.

8.5. Reclamation of excavated area

- 8.5.1. All such excavated areas in the project are to be properly reclaimed as part of environment safeguard measures.
- 8.5.2. Selection of species for plantation shall be done in consultation with local communities and state forest department respecting their knowledge of local species and expertise.



Dam view of Teesta-V PS (510 MW), Sikkim

9. EVALUATION, ASSESMENT AND REPORTING

- 9.1. The activities undertaken for implementation under the framework of CEP shall be evaluated as per the conditions given by MoEF&CC and other regulatory authorities/ any additional target approved by concerned Director for achievement of Voluntary Initiatives/ schemes.
- 9.2. Post-Construction Environment Impact Assessment studies will be undertaken, preferably by external agencies, five years after commissioning of the project and completion of EMPs and other schemes, if any. The impact will be assessed and compared against the planned benchmarks fixed at the time of planning to gauge the degree of success of the Environmental initiatives/measures.
- 9.3. Assessment of the activities carried out under Voluntary Initiative may be periodically evaluated to measure their success.
- 9.4. Non-compliance/ violations of statutory conditions of MoEF&CC/ other Environment & Forest Acts and Guidelines, if any, shall be reported to the concerned Director.

10. COMMUNICATION TO STAKEHOLDERS

- 10.1. The Environment Policy Statement is placed at 'Annexure-I'.
- 10.2. This Environment Policy Statement shall be displayed on NHPC's website in line with the existing practices and guidelines of GoI.

- 10.3. NHPC Limited shall communicate information on compliance of its CEP in a structured manner to all its stakeholders and the public at large.
- 10.4. Six Monthly Compliance Reports on Environmental aspects being submitted to MoEF&CC, GoI shall be displayed on company's website.
- 10.5. Annual Report will incorporate information on CEP and other environment related activities for benefit of external stakeholders.
- 10.6. NHPC Limited will examine and incorporate views/ suggestions of its stakeholders like PAFs, Parliamentary Committees, NGOs, local communities etc. as and when required.
- 10.7. Being a listed company, it shall also give due consideration to the observation of institutional investors, vendors, lenders etc.





Glimpses of Annual General Meeting with stakeholders at NHPC Corporate Office, Faridabad



11. AWARENESS AND CAPACITY BUILDING PROGRAMME

- 11.1. Comprehensive and systematic activities shall be undertaken at all levels i.e. Corporate Office, Regional Offices, Projects & Power Stations, Liaison Office of NHPC Limited to generate awareness and motivate human resource for preservation and improvement of environment through exchange and communication of information, seminars, workshops, celebration of important National and International activities like World Environment Day, World Earth Day, such activities promoted by State and Central Government from time to time etc.
- 11.2. Periodic training programmes are to be organised at various levels involving experts from the disciplines of ecology, sociology, wildlife, horticulture, agriculture, forestry, environmental law etc. to inculcate and instil sense of affection and loyalty towards environment and Mother Nature amongst all employees.

12. APPLICABILITY TO SUBSIDIARY COMPANIES

12.1. The Corporate Environment Policy, 2022 will be communicated to all JVs, Subsidiary (ies) and wholly owned Company (ies) of NHPC Limited for adoption of this policy as per their suitability.

13. REVIEW OF CORPORATE ENVIRONMENT POLICY

13.1. Given the fact that social, economic and environmental scenario has inherent

ingredients for change along with progress of time, this Corporate Environment Policy, 2022 shall be reviewed in every five years to incorporate suitable modifications. However, in case of any major changes in National Norms/ Guidelines/ Acts concerning environment and forest aspects of hydropower and renewable energy before five years from this date; this policy will be reviewed and revised.

This policy has come in force from August, 2022.

14. ABBREVIATIONS

CPCB : Central Pollution Control Board
EIA : Environment Impact Assessment
EMP : Environment Management Plan

GoI : Government of India

MoEF&CC: Ministry of Environment, Forest

and Climate Change

NGO : Non-Governmental Organisation

PAF : Project Affected Family
PCC : Pollution Control Committee
PWD : Public Works Department

RS&GIS : Remote Sensing and Geographical

Information System

SPCB : State Pollution Control Board

ToR : Terms of Reference
DPR : Detailed Project Report

CEP : Corporate Environment Policy

PS : Power Station

HEP : Hydro Electric Project



Ithai barrage of Laktak Power Station (105 MW), Manipur



'Annexure - I'

CORPORATE ENVIRONMENT POLICY

OURAIM

- To address the environmental & social concerns for sustainable development of conventional & non-conventional sources of energy.
- To establish an environmental management system to measure and monitor our operational activities with significant environmental impact.

OUR COMMITMENTS

- To integrate environmental considerations into the planning, execution and operation of the projects.
- To follow avoid, minimize, mitigate and compensate policy in dealing with environmental and social impacts.
- To comply with applicable environmental legislation and to adopt best environmental

practices.

• To prevent pollution and mitigate environmental risks from our activities

OUR ENDEAVOUR


- To communicate environmental commitments to employees, contractors and host communities and motivate them to support it.
- To make bare minimum utilization of natural resources and contribute to its protection, conservation and regeneration.
- To maintain and continually improve environmental performance in our business operations & actions and to minimize the social impacts by periodically reviewing our environmental policy in light of our current and future activities.

March 2025

(R.K. Chaudhary)

Chairman & Managing Director









In-situ conservation of Vulture at Parbati-II HEP (800 MW), Himachal Pradesh



Restoration of dumping site at Parbati-II HEP (800 MW), Himachal Pradesh



Pakshi Vihar at Indira Sagar Power Station (1000 MW), Madhya Pradesh



Herbal Park developed at Teesta-V PS (510 MW), Sikkim



Redbreast Basking Butterfly at Teesta-V PS (510 MW), Sikkim



Trout in raceways of fish farm at Parbati-III PS (520 MW), Himachal Pradesh



Orchid propagation unit (Tippi, Arunachal Pradesh) at SLHEP (2000 MW), Arunachal Pradesh



Orchid at propagation unit (Gerukamukh, Assam) at SLHEP (2000 MW), Arunachal Pradesh





Sl. No.	Index F	Page No.
		1
1.	Preamble	49
2.	Introduction	49
3.	Applicability	49
4.	Objectives	49
5.	Organisational Framework	50
6.	Our Policy	50
7.	Evaluation and Assessment	51
8.	Communication to Stakeholders	51
9.	Awareness and Capacity Building Programn	ne 52
10.	Applicability to Subsidiary Companies	52
11.	Responsibility	52
12.	Review of Biodiversity Policy	52

1. PREAMBLE

- 1.1. NHPC Limited as an organization believes in sustainable development through its business operations while giving equal emphasis on environment and society. Conservation of environment is one of the core values of the company.
- 1.2. NHPC's Biodiversity Policy aims at strengthening environmental ethics in its business operations vis-a-vis likely effects on ecosystem and biodiversity.

1.3. **POLICY STATEMENT**

"NHPC Limited strives to provide clean energy by committing to compliance of environment safeguard measures, practices and consideration for conservation of biodiversity around all its projects, power stations and establishments."

2. INTRODUCTION

- 2.1. Survival and propagation of species in the ecosystem is one of the corner stones of the biodiversity management in any part of the world.
- 2.2. Habitat protection is the prerequisite for maintaining health of an ecosystem.
- 2.3. Developmental activities can potentially affect the habitats and the biodiversity of the area.
- 2.4. NHPC's Biodiversity Policy, 2023 is an extension of its Corporate Environment Policy, 2022, re-emphasizing NHPC's commitment to fulfil its responsibility towards protection of environment and contributing towards sustainable development of organization, people and the planet.

3. APPLICABILITY

3.1 This policy shall be applicable to all projects, power stations and establishments of NHPC.

4. OBJECTIVES

This policy is based on the following objectives:

- 4.1 To emphasize on protection of biodiversity by adopting best biodiversity management practices in all its strategic business development activities from planning stages of a project.
- 4.2 Strict compliances of all relevant Acts/
 Guidelines/ Policies related to
 environment, forests and wildlife with
 due consideration to biodiversity
 conservation and management.
- 4.3 To adopt best modern practices to minimize adverse impacts on biodiversity due to project activities.
- 4.4 Biodiversity conservation measures of the company shall not remain limited to regulatory compliances but shall be oriented towards continuous efforts for enhancement of biodiversity of the area.



Downstream view of Kishanganga Power Station (330 MW), UT of J&K


5. ORGANISATIONAL FRAMEWORK

This policy prescribes three level structures in its organizational framework aligning with the Corporate Environment Policy, 2022:

- 5.1 Corporate Level: Planning, monitoring and assistance in biodiversity conservation, coordination with Central Government Agencies and suggesting measures for improvement in biodiversity conservation measures whenever required.
- 5.2 Regional Level: Monitoring and compliance of biodiversity conservation measures.
- approvals related to environment, forest and wildlife aspects, co-ordination with stakeholders and Corporate Office for undertaking regulatory and voluntary biodiversity conservation measures, and keeping proper documentary records, photographs, video graph etc.

6. **OUR POLICY**

6.1 To proactively include biodiversity conservation as one of its essential considerations in all business development and decision making processes.



Downstream view of Parbati-II HEP (800 MW), Himachal Pradesh

- 6.2 To take initiatives for environmental protection with special emphasis on conservation of indigenous and endemic species of flora and fauna in and around area of its business operations.
- 6.3 To identify and mitigate environmental impacts so as to restore biodiversity in the proximity of its business operations.
- 6.4 To take special care to minimize impact on critical habitats located on proximity of its business operations.
- 6.5 Suitable budgetary provision for biodiversity conservation initiative to be allocated as and when required.
- 6.6 Projects/Power stations/ will be encouraged to take up voluntary conservation initiatives beyond statutory requirement and obligation in all its present and prospective areas of operation in the larger interest of environment protection.
- 6.7 Projects/ Power Stations shall liaise with State Forest Department for effective implementation of Compensatory Afforestation, Reservoir Rim treatment and Catchment Area Treatment schemes to ensure implementation of erosion control and other vegetation cover improvement measures.
- 6.8 Other biodiversity conservation measures stipulated in Environment Management Plans/ Clearance/ Approvals are to be implemented in true spirit.

- 6.9 While undertaking plantation activities, selection of native plant species are to be given importance.
- 6.10 Muck dumping and other excavated sites shall be planted with local endemic/native species, suitable representations from trees, shrubs and herbs, to increase biodiversity in the area in consultation with State Forest Department and other expert organisations.
- 6.11 Ex-situ conservation strategies to be promoted like development of Parks (like Herbal Parks, Butterfly Parks etc.), Garden, , Nurseries, Orchidarium, Arboretum, Bambusetum, Breeding Centres, Hatcheries etc. for rehabilitation and propagation of Rare Endangered Threatened (RET) species and other flora and fauna species of importance in proximity of its business operations.
- 6.12 For sustenance of aquatic life, fishery management measures shall be taken up along with maintenance of environment flow as per rules/guidelines.
- 6.13 Green belt shall be developed around the project area with fruit bearing trees and food plants to provide new habitat to local flora and fauna species.
- 6.14 Attempts to be made to help local communities to preserve traditional knowledge on use of local species in medicine/ fodder and other purposes.
- 6.15 To collaborate with stakeholders especially State Government

- departments for important conservation initiatives in and around business area of project operation.
- 6.16 Voluntary plantation and other activities shall be undertaken in all its area of operation during important days as Worlds Environment Day, Van Mahotsava or as per directions.

7. EVALUATION AND ASSESSMENT

7.1 The activities undertaken under this biodiversity policy will be evaluated as per the framework under Corporate Environment Policy, 2022.

8. COMMUNICATION TO STAKEHOLDERS

- 8.1 Biodiversity Policy statement is placed as Annex-II.
- 8.2 Biodiversity Policy statement shall be displayed on NHPC's website.
- 8.3 NHPC Limited will communicate information on compliance on its Biodiversity Policy in a structured manner to all its stakeholders.
- 8.4 NHPC Limited being a listed company shall also give due consideration to the observation of institutional investors, vendors, Landers etc.



Penstock of Laktak Power Station (105 MW), Manipur

9. AWARENESS AND CAPACITY BUILDING PROGRAMME

- 9.1 Celebration of World Environment Day, Van Mahotsava and any other local events for environment awareness shall also include topics on biodiversity conservation and management.
- 9.2 Capacity building programs shall be organized periodically on various biodiversity conservation issues involving employees and other stakeholders.

10. APPLICABILITY TO SUBSIDIARY COMPANIES

10.1 The Policy will be communicated to all its Joint Ventures, Subsidiaries and wholly owned companies of NHPC Limited for adoption of this policy as per their suitability.

11. **RESPONSIBILITY**

11.1. Designated Nodal Department *i.e*, Environment & Diversity Management Division shall ensure the policy is implemented throughout the Company.

11.2. Compliance will be ensured at the Projects/ Power Stations/ Regional Offices by their respective Heads and at the corporate level by the respective HoDs.

12. REVIEW OF BIODIVERSITY POLICY

12.1 The policy shall be reviewed in every five years to incorporate suitable modification according to future needs. However, this policy can be reviewed earlier for its applicability and relevance taking into account any major changes in Environmental regulations.

This Policy has come in force from 28.03.2023.



'Annexure - II'

BIODIVERSITY POLICY STATEMENT

OURAIM

- To address biodiversity concerns for sustainable development of clean power through competent, responsible and innovative values.
- To emphasize on protection of biodiversity by adopting best management practices in all its strategic business development activities.

OUR COMMITMENTS

- To proactively include biodiversity conservation as essential considerations in all business development and decision making processes.
- To take initiatives for environmental protection with special emphasis on conservation of indigenous species of flora and fauna.

OUR ENDEAVOUR

- To collaborate with stakeholders especially State Government departments for important conservation initiatives in and around area of operation.
- Projects/ Power stations/ will be encouraged to take up voluntary conservation initiatives beyond statutory requirement and obligation in all its present and prospective areas of operation in the larger interest of environment protection.
- To take special care to minimize impact on critical habitats located on proximity of its business operations.

March 2025

(R.K. Chaudhary)

Chairman & Managing Director







Communication to Stakeholders

Awareness and Capacity Building Programme

Applicability to Subsidiary Companies

Review of Waste Management Policy

7.

8.

9.

10.

57

57

58

58

1. PREAMBLE

- 1.1 Management of waste is one of the important measures for conservation of environment. NHPC's Waste Management Policy, 2023 aims at scientific management of waste originating from its business operations in an environmentally friendly manner.
- 1.2 Policy Statement
 "NHPC Limited strives for efficient waste
 management through ethical practices in
 consonance with applicable Waste
 Management Rules of the Government."

2. INTRODUCTION

- 2.1 Handling and disposal of all types of wastes including hazardous and non-hazardous, e-waste, biomedical and solid waste is a significant element of environment management.
- 2.2 NHPC Limited has an E-Waste Policy in place.
- 2.3 NHPC's Waste Management Policy, 2023 is an extension of NHPC's commitment exhibited through its Corporate Environment Policy, which is aligned with the company's vision and mission.

3. APPLICABILITY

3.1 This policy shall be applicable to all Projects, Power Stations and other establishments of NHPC Limited.

4. **OBJECTIVES**

This policy is based on the following objectives:

- 4.1 To adopt practices to minimize generation of waste at its source.
- 4.2 To adopt best waste management practices

- during all stages of its operational activities at its business locations.
- 4.3 To ensure proper disposal of waste from activities in accordance with prescribed management and environment safeguard measures.
- 4.4 To follow principle of three "R"s (Reduce, Reuse and Recycle).

5. OUR POLICY

- 5.1 All establishments of NHPC Ltd will comply with preventive Waste Management Rules in consultation and coordination with concerned stakeholders (SPCB/ PCC/ MoEF&CC/ District Administration and Urban/local bodies.
- 5.2 Each Project/ Power Station / Establishment will promote community engagement in waste disposal within the ambit of relevant rules.
- 5.3 To incorporate latest technology promoting waste disposal and management by collaborating with reputed Government Organizations/ Universities/ Research Centers/NGOs.
- 5.4 All muck generated from construction activities shall be disposed off only at predesignated approved dumping sites.



View of Nimmo-Bazgo PS (45 MW), UT of Ladakh

- 5.5 The mucks are to be disposed in accordance with the estimated capacity of the dumping site. Due care should be taken to ensure that materials from dumping sites do not spill over to the adjoining forests/water bodies/areas.
- 5.6 Attempts should be made to reuse the muck generated from construction activities depending upon its suitability for activities such as road construction, aggregates, filling of low-lying areas etc
- 5.7 Domestic solid waste disposal as per Environment Management Plan approved by MoEF&CC in consultation with SPCB/PCC/ district administration, etc. Measures may be taken to convert Organic wastes to manure, wherever possible, which can be used at business locations/ distributed to locals.
- 5.8 At residential colony/ power house/ offices, Sewage Treatment Plant of appropriate capacity to be installed in accordance with SPCB norms/guidelines.
- 5.9 Proper waste management measures shall be implemented through contractors at our business locations for waste management from labour colonies and their setups.
- 5.10 Only treated wastewater shall be discharged following "General Discharge Standards" of CPCB/ GoI. Care should be exercised for disposal of untreated wastewater from any establishments by providing appropriate sewage treatment facilities, soak pits, septic tanks etc.
- 5.11 Before discharge into natural bodies or any application; wastewater from workshops/construction sites shall be passed through settling chambers/ sediment tanks, oil separator and in-situ treatments as per standard norms.
- 5.12 Proper management practices as per

- guidelines of MoEF&CC/ SPCB, etc. shall be followed for disposal of waste scrap materials, metals, waste oil, batteries, biomedical waste from project dispensaries, etc.
- 5.13 To conduct awareness programmes for sensitization of all employees, contractors, labours and others associated with activities of Projects/ Power Stations/ Establishments as the case may be.
- 5.14 Not to use 'Single-Use-Plastic' in any of its establishments as per norms of GoI/ CPCB.

6. EVALUATION AND ASSESSMENT

- 6.1 Designated nodal Department i.e, Environment & Diversity Management Division shall ensure the policy is implemented throughout the Company.
- 6.2 Compliance will be ensured at the Projects/
 Power Stations/ Regional Offices by their respective Heads and at the corporate level by the HoD, EMS Division.

7. COMMUNICATION TO STAKEHOLDERS

- 7.1 The Policy shall be displayed on NHPC's website.
- 7.2 NHPC limited being a listed company shall give due consideration to the observation of institutional investors/ vendors/ lenders etc.

8. AWARENESS AND CAPACITY BUILDING PRAGRAMME

8.1 Conduct training and awareness programs for the company's employees, contract workers and township residents on waste management guidelines and practices.

9. APPLICABILITY TO SUBSIDIARY COMPANIES

- 9.1 The Waste Management Policy, 2023 shall be communicated to all Joint Ventures, Subsidiaries and wholly owned companies of NHPC Limited for adoption of this policy as per their suitability.
- 10. REVIEW OF WASTE MANAGEMENT POLICY

10.1 The policy shall be reviewed in every five years to incorporate suitable modifications according to need and opportunity. However, the policy can also be reviewed earlier for its applicability and relevance as per evolving business environmental scenario.

This Policy has come in force from 28.03.2023.





6.

7.

8.

Awareness and Capacity Building Programme

Applicability to Subsidiary Companies

Review of Water Conservation Policy

61

62

62

1. INTRODUCTION

- 1.1. Water is the most precious natural resource for survival and sustenance of all life forces on the earth. Water conservation and management is essential for environment protection and economic development of our country.
- 1.2. NHPC Limited is committed to adopt water conservation measures along with its stated environment protection strategy. NHPC's Water Conservation Policy, 2023 hereby reaffirms its objectives of sustainable development through endeavors embedded in its business strategy and practices.

2. APPLICABILITY

2.1. This policy shall be applicable to all Projects, Power Stations and other establishments of NHPC Limited.

3. OUR POLICY

NHPC Limited through its Water Conservation Policy, 2023 shall strive to:

- 3.1 Ensure compliance of all regulatory frameworks with elements of water conservation and management.
- 3.2 Take voluntary initiatives to identify the water consumption patterns in each of its establishments and aim towards reducing the water footprints by optimizing the use of water through installing efficient water systems.
- 3.3 Integrate rainwater harvesting measures in its planning and strategy at all its locations.
- 3.4 Emphasize on use of latest technological advancements with focus on water conservation through improving efficiency, recycling, recharge and reuse.
- 3.5 Take steps to prevent water pollution in all

its establishment/ area by ensuring proper disposal mechanism of waste water such as Sewage Treatment Plants or site suitable measures and discharge, if any, while complying with the stipulated norms of the Government.

3.6 Social and economic needs are to be given importance while planning water conservation measures.

4. EVALUATION AND ASSESSMENT

- 4.1. Designated nodal Department i.e, Environment & Diversity Management Division shall ensure the policy is implemented throughout the Company.
- 4.2. Compliance will be ensured at the Projects/
 Power Stations/ Regional Offices by their respective Heads and at the corporate level by the HoD, EMS Division.

5. COMMUNICATION TO STAKEHOLDERS

- 5.1. The Policy shall be displayed on NHPC's website.
- 5.2. NHPC limited being a listed company shall give due consideration to the observation of institutional investors/vendors/lenders etc.

6. AWARENESS AND CAPACITY BUILDING PROGRAMME

- 6.1. NHPC will provide training on waterrelated awareness and sensitize all employees and other relevant stakeholder groups.
- 6.2. NHPC will conduct periodic campaigns and rally to promote water conservation within employee's value chain and local community.



6.3. Latest water-related study reports, researches, findings, innovations etc. shall be regularly disseminated to all employees.

7. APPLICABILITY TO SUBSIDIARY COMPANIES

7.1 The Water Conservation Policy, 2023 shall be communicated to all Joint Ventures, Subsidiaries and wholly owned companies of NHPC Limited for adoption of this policy as per their suitability.

8. REVIEW OF WATER CONSERVATION POLICY

8.1 The policy shall be reviewed in every five years to incorporate suitable modifications according to need and opportunity. However, the policy can also be reviewed earlier for its applicability and relevance as per evolving business environmental scenario.

This Policy has come in force from 28.03.2023



मध्यप्रदेश स्थित ओंकारेश्वर पावर स्टेशन (520 मेगावाट) के बांध का दृश्य



तमिलनाडु स्थित सौर ऊर्जा <mark>पावर</mark> स्टेशन (50 मेगावाट) के सोलर मोड्यूल का दृश्य



राजस्थान स्थित जैसलमर पवन ऊर्जा पावर स्टेशन (50 मेगावाट) के पवन चक्की का दृश्य



आभारोक्ति

यह नीति दस्तावेज ईएसजी रिपोर्टिंग के तहत प्रकाशित की गई है। साथ ही राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन के अंतर्गत द्विभाषी रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ईएसजी की टीम



धर्मपाल राठौर समूह उप-महाप्रबंधक (पर्यावरण)



अरविंद कुमार शर्मा उप-महाप्रबंधक (पर्यावरण)



मनोज कुमार सिंह समूह वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यावरण)



पुजा सूँडी, प्रबंधक (पर्यावरण)

विभागीय राजभाषा की टीम



कुमार मनीष समूह वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यावरण)



विशाल शर्मा समूह वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यावरण)



मनीष कुमार उप-प्रबंधक (फिशरीज)







एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

निगम मुख्यालय

एनएचपीसी परिसर, सेक्टर-33, फ़रीदाबाद -121003 (हरियाणा)

CIN: L40101HR1975GOI032564

वेबसाइट: www.nhpcindia.com